



SSC GK

PARMAR'S GK BATCH

TOPIC

Prime Minister & Council of Ministers

Lecture :- 7



For Notes Join Telegram :



OR
Scan



Click on the icon.



For Lectures Subscribe Our Parmar SSC Youtube Channel



OR
Scan




Click on the icon.

अनुच्छेद 73 :

संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।

अनुच्छेद 74: मंत्रीपरिषद का उल्लेख।

- राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा।



राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद की सलाह की एक बार जीटा सकता है लेकिन मंत्रीपरिषद हारा दीवारा अमीजने पर राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा। (44 वां संविधान संशोधन)

अनुच्छेद 75:

- पूद्यानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एवं अन्य मंत्री भी पूद्यानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

पूद्यानमंत्री [जो लीक्सभा में बहुमत दल का नेता है। किसी पार्टी को बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति उस पार्टी के नेता को पूद्यानमंत्री नियुक्त कर देगा लेकिन उसे 1 मटीने के अंदर सदन में बहुमत पाना होगा।

75.1(A): मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, लौकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। (91 गं संविधान संशोधन)

75.1(B): किसी राजनीतिक फल का संसद के किसी भी सदन का सदस्य, जो 50वीं अनुसूची के पर्याम 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्दिष्ट है, अपनी निर्दिष्टा की तारीख से प्लारंब होने तक और उस तारीख तक विस्तीर्ण से सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहाँ वह ऐसी अवधि के समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निवचिन लड़ता है, उस तारीख तक विस्तीर्ण वह निर्वाचित प्रीष्ठि किया जाता है, इनमें से जो भी घटके हों, की अवधि के दौरान, रवंड(1) के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निर्दिष्ट होगा। (फलबदल) (अयोग्य)

75(2): मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं।

75(3): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लौकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

75(4): शपथ → राष्ट्रपति

75(5): मंत्री, जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, नों किसी भी सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर लेनी होगी।

→ PM दीनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य ही सकता है।

द्वंद्वा गांधी
HD देवगोडा
मनमीटनसिंह

राज्यसभा के सदस्य
↓
सदन का नेता
(Leader of House)

75(6): वैतन और भल्ते



अनुच्छेद 77: मंत्रियों के मध्य कार्य का बैठकारा राष्ट्रपति करेगी।

मंत्रिपरिषद के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे।

अनुच्छेद 78: राष्ट्रपति प्रदानमंत्री से यह अपेक्षा करता है कि वह मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रस्तावी की सूची / सूचना राष्ट्रपति को दे। "pm is the linchpin of govt." → नेहरू

मंत्रिपरिषद — प्रदानमंत्री — राष्ट्रपति

(भाग-5) → (भाग-6)

संघ कार्यकारिणी → राज्य कार्यकारिणी

राष्ट्रपति → गवर्नर (राज्यपाल)

प्रदानमंत्री → मुख्यमंत्री

मंत्रिपरिषद → मंत्रिपरिषद

महान्यायवादी → महाविवक्ता

उपराष्ट्रपति → X

समक्ष: अनुच्छेद 74 = अनुच्छेद 163

अनुच्छेद 75 = अनुच्छेद 164

अनुच्छेद 76 = अनुच्छेद 165

लौकिक सभा में न्यूनतम सदस्य की सीमा नहीं है लैकिन विद्यानसभा में न्यूनतम 12 मंत्री हीने चाहिए।

अनुच्छेद 77 = अनुच्छेद 166

अनुच्छेद 78 = 167

अनुट्टेद 52 → अनुट्टेद 153 → प्रत्येक राष्य में
राज्यपाल

अनुट्टेद 53 → अनु० 154 → समस्त कार्यपालिका संबद्धी शक्ति

अनुट्टेद 54 → अनु० 155 → राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति

अनुट्टेद 55 → राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण

अनुट्टेद 56 → अनु० 156 → राज्यपाल का कार्यकाल

अनुट्टेद 58 → अनु० 157 → राज्यपाल की योग्यता

भारत का नागरिक ।

35 वर्ष की आयु पूर्ण ।

→ कीर्ति भी राज्यपाल, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त ही सकता है। (7वां संविधान संशोधन 1956)

अनुट्टेद 59 → अनु० 158 → राज्यपाल के पद हेतु शर्तें ।

अनुट्टेद 60 → अनु० 159 → राज्यपाल की शपथ

उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

अनुट्टेद 160 : कुछ आकृस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन ।

अनुट्टेद 161 : क्षमादान की शक्ति ।

अनुट्टेद 162 : राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ।

SC → गवर्नर, कौन्ह सरकार के अधीन कीर्ति पद नहीं हैं

राज्यपाल का वेतन और भत्ता संसद के अनुसार तय होता है।

- 1979 में भारत के PM के रूप में मीरारबी देसाई का स्थान लिया - चौथी चरण सिंह ने।

(1978-80) - शीलिंग प्रधान

- एटल इन्डस्ट्रीज के दिने वाले पदले PM - मीरारबी देसाई।
- किसी देश की प्रदानमंत्री बनने वाली पहली महिला - सिरिमावी भंडारनाई के 1975 - श्रीलंका
- कैन केंट्रीय कैविनेट मंत्री बने बिना भारत का PM बन गया - HD देवगोपीँडा
- किस PM में 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया - अटल विद्यारी बाजपेही
- PM के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल - जवाहर लाल नैदुर 16 साल 286 दिन
- दिल्ली नी मंत्रिपरिषद में केवल 10% सदस्य ही मंत्री रही सकते हैं।
↳ 69वां संविधान संशोधन

स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री:

प्रधानमंत्री	→ जवाहर लाल नैदुर (+ विदेश मंत्री) (राष्ट्रमंडल)
कानून मंत्री	→ B.R. अर्द्धेठर
गृह मंत्री	→ सरदार पटेल (मुख्य एवं प्रसारण मंत्री)
खाद्य एवं कृषि	→ राजेन्द्र प्रसाद
शिक्षा मंत्री	→ मौ. अबुल कुल्म आबाद
रेलवे मंत्री	→ जॉन मण्डी
वित्त मंत्री	→ R.K. घण्टुगम शीटी
जल मंत्री	→ जगदीवन राम
रक्षा मंत्री	→ सरदार बलदेव सिंह
स्वास्थ्य मंत्री	→ रामकुमारी अमृतकौर (स्कमात्र मठिला मंत्री)